



## भारत में महिलाओं की स्थिति का शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं स्वास्थ्य के आधार पर तुलनात्मक विश्लेषण

ऋचा सिंह

शोध छात्रा, सेन्टर फॉर गोल्डलाइजेशन एण्ड डेवलपमेंट स्टडीज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।

### प्रस्तावना

भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में लिंग के आधार पर समानता के सिद्धान्त को प्रतिपादित किया गया है। संविधान में न केवल महिलाओं को समानता का अधिकार दिया गया है बल्कि राज्यों को महिलाओं के हित संवर्द्धन के लिए उचित कदम उठाने के लिए शक्ति भी प्रदान की गयी है। प्रजातांत्रिक नीति, कानून, विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, परन्तु इन प्रयासों के बावजूद जब महिलाओं की वास्तविक स्थिति अत्यंत दयनीय एवं दोगम दर्जे की है। जिसको जानने एवं समझने के लिए हमें उसे प्रभावित करने वाले विभिन्न पहलुओं को विश्लेषित करना होगा।

देश में महिलाओं की स्थिति को जानने के लिए आवश्यक है कि उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक पहलुओं को समझा जाये इसके अन्तर्गत बहुत सारे पहलू सम्मिलित होते हैं जैसे- शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, प्रति-व्यक्ति आय, जीवन स्तर, प्रजनन दर, मृत्यु-दर, सामाजिक परम्परायें एवं वैधानिक अधिकार।

यदि हम इतिहास से शुरुआत करें तो भारत में महिलाओं की स्थिति ऐतिहासिक रूप से संतोषजनक नहीं रही है। यद्यपि प्राचीन काल में कुछ भारतीय महिलाओं जैसे गार्गी, विद्योतमा, अपाला, घोशा, विश्वसा, सावित्री आदि का नाम आदर से लिया जाता रहा है परन्तु महिलाओं की स्थिति सदैव एक जैसी नहीं रही, उत्तरोत्तर बढ़ते काल के साथ उसकी स्थिति क्रमानुसार घटती एवं बन्धन युक्त होती चली गयी। एक तरफ जहाँ "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता" जैसी उक्तियाँ प्रचलित रही हैं, वहीं दूसरी ओर उसे आर्थिक उत्तरदायित्व माना गया जो कि पुरुष वहन करता है, तो कभी उसे तमाम बन्धनों का अधिकारी एवं दोगम दर्जे का बताया गया है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि विभिन्न रूपों में महिलाओं की स्थिति को गढ़ने का काम समाज अपनी आवश्यकतानुसार करता रहा और मेरी समझ से किसी के द्वारा बार-बार विभिन्न रूपों में ढाला जाना अपने आप में औरतों की समाज में निम्न स्थिति को द्योतक है।

महिलाओं की स्थिति को और अधिक स्पष्ट तरह से समझने के लिये निम्न घटकों का विश्लेषण कर उसे समझा जा सकता है।

### शैक्षिक स्थिति

शिक्षा मानवीय विकास का केन्द्र बिन्दु है साक्षरता से अन्य कई सामाजिक समस्याओं जैसे- ऊँची जन्म दर, स्वास्थ्य की देखभाल का अभाव, रुढ़ियों एवं निर्धनता के समाधान में सहायता मिलती है, परन्तु हमारे देश में इस प्रक्रिया में अधिकांश महिलायें पीछे रह गयी हैं। यही कारण है कि वे जीवन में प्रत्येक क्षेत्र, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में शोषण व अत्याचार का शिकार हुई है। महिलाओं में शिक्षा के अभाव के कारण उनमें आत्मनिर्भरता तथा आत्मविश्वास की कमी है, जिसके फलस्वरूप वह अपनी

समस्याओं का स्वतः समाधान करने में समर्थ नहीं हो पाती है। अधिकांश लोग शिक्षा को नौकरी प्राप्त करने का साधन मात्र समझते हैं अतः वे बालिकाओं के शिक्षा प्राप्त करने को सामाजिक दृष्टि से हेय समझते हैं। अधिक शिक्षित होने पर विवाह तथा दहेज संबंधी समस्यायें उपस्थित होने के भय से लोग लड़कियों की शिक्षा की उपेक्षा करते हैं। विगत 10-15 वर्षों के दौरान बालिकाओं का स्कूल जाना उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है, बावजूद इसके महिला शिक्षा का स्तर संतोषजनक नहीं है और पुरुषों की तुलना में काफी कम है। जहाँ महिलाओं की साक्षरता दर निम्न है वहीं उनका पंजीकरण अनुपात भी लड़कों की तुलना में काफी नीचे है और शिक्षा छोड़ने का अनुपात लड़कियों का बहुत अधिक है। महिलाओं की साक्षरता की स्थिति को निम्न आकड़ों से स्पष्ट किया जा सकता है।

### भारत में साक्षरता दर 1951-2011

तलिका 1: जनगणना वर्ष कुल पुरुष महिला, महिला-पुरुष अन्तर साक्षरता दर में

जनगणना वर्ष	कुल	पुरुष	महिला	महिला-पुरुष अन्तर साक्षरता दर
1951	18.33	27.16	8.96	18.30
1961	28.30	40.40	15.35	25.05
1971	34.45	45.96	21.97	23.98
1981	43.47	56.38	29.76	26.62
1991	52.21	64.13	36.29	27.84
2001	65.38	75.85	54.16	21.70
2011	74.4	82.14	65.46	16.68

नोट- आकड़े प्रतिशत में

### रोजगार स्तर

आज भागीदारी की दृष्टि से कृषि, पशुपालन व्यवसाय, हथकरघा आदि क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान के अनुपात में वृद्धि हुई है। पिछले दशक में महिलाओं की क्रियाओं से संबंधित नये आयाम उभरकर सामने आये हैं। अब महिलायें इलेक्ट्रानिक्स, टेली-कम्यूनिकेशन, उपभोक्ता उत्पादन, संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यवसायों में आ रही है परन्तु विशेष बात यह है कि महिलाओं के लिये कार्य शब्द का अर्थ, परिभाषा व सीमा निर्धारित नहीं है। यही कारण है कि महिलायें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 60-70 तक योगदान करती हैं, इसके बावजूद उनकी बहुत सारी क्रियाओं को सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित भी नहीं किया जाता है। एक अनुमान के आधार पर महिलाओं के अवैतनिक श्रम की नकद वार्षिक कीमत लगभग 4 ट्रिलियन डालर होती है। जो विश्व के सकल राष्ट्रीय उत्पाद का एक तिहाई भाग है। परन्तु प्रत्यक्ष तौर पर गणना के अनुसार पुरुषों की तुलना में

महिलाओं की कार्य में भागीदारी की दर बहुत कम है। 2001 में कुल कार्यशील पुरुष 51.9% थे और महिलायें केवल 25.7% थीं और 2011 की जनगणना के अनुसार कार्यशील पुरुषों की संख्या है 71.88% और महिलाओं की सिर्फ 18.5% हैं।

जबकि भारत में महिला श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक है वे घर तथा बाहर दोनों जगह काम करती हैं, लेकिन उनका काम श्रमिक सांख्यिकी रिपोर्ट में शामिल नहीं होता है।

कुछ आकड़ों के अनुसार भारत में कुल महिलाओं की जनसंख्या का केवल 13.99% महिलायें ही आर्थिक उत्पादन क्रियाओं में वर्ष संलग्न रह पाती हैं। 80.23% महिलायें नॉन वर्कर्स की श्रेणी में आती हैं, दूसरे शब्दों में कुल श्रम शक्ति का केवल 20.22% भाग ही प्रमुख कार्यकर्ताओं के रूप में महिलायें हैं।

### स्वास्थ्य स्थिति

महिलाओं की स्थिति का स्वास्थ्य सम्बन्धी दृष्टिकोण उनकी स्थिति की वास्तविकता को जानने हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण है तथा विश्लेषण से पता चलता है कि आधी आबादी के लिये स्वास्थ्य का प्रश्न अत्यन्त गंभीर है। बीते दिनों 'क्रियेट रजिस्ट्री' (वाशिंगटन) द्वारा भारत के 20,468 मरीजों पर किये गये एक अध्ययन से पता चलता है कि 'इक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम' से पीड़ित महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम तथा घटिया उपचार मिलता है। देश में लगभग 36 करोड़ महिलायें प्रजनन संबंधी रोगों से ग्रस्त हैं; जबकि 27 करोड़ महिलायें प्रीमेस्टुअल सिंड्रोम से पीड़ित हैं। गांवों और दूर-दराज के इलाकों में रहने वाली 40% महिलाओं को ल्यूकोरिया, अल्सर और गर्भाशय के कैंसर जैसी बीमारियों ने घेर रखा है। विभिन्न शोधों से यह स्पष्ट हुआ है कि लिंग भेदभाव की परम्परा तो शिशु जन्म से ही आरम्भ हो जाती है। राष्ट्रीय पोषण मानीटरिंग ब्यूरो के अनुसार 13 से 15 साल की किशोरियों को 1,620 कैलोरी वाला भोजन मिलता है जबकि उन्हें 2,025 कैलोरी की जरूरत होती है। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 15 से 50 वर्ष तक की उम्र वाली 35.6 महिलायें स्वस्थ नहीं हैं। 55 महिलायें खून की कमी से जूझ रही हैं। जिसका नतीजा गर्भकाल में 20 से ज्यादा मृत्यु, समय पूर्व शिशुओं के जन्म में तीन गुना वृद्धि तथा 9 गुना अधिक प्रसव मृत्यु के मामले के रूप में सामने आता है। संयुक्त राष्ट्र की HDI रिपोर्ट के अनुसार भारत में मातृ-मृत्युदर पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी खराब है हमारे यहाँ 1 लाख जीवित बच्चे के प्रसव के दौरान 450 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है जबकि पाकिस्तान में यह संख्या 320 है। माताओं की स्थिति पर तैयार की गयी 79 अल्प विकसित देशों की रैंकिंग में भारत का 75वां स्थान है। हर वर्ष स्वास्थ्य के चलते 7,000 महिलाओं की अकाल मृत्यु हो जाती है।

### राजनीतिक स्थिति

स्त्रियों की राजनीतिक स्थिति इस बात से जानी जा सकती है कि सत्ता के स्वरूप निर्धारण और उसमें भाग लेने के मामले में उन्हें कितनी आजादी प्राप्त है और इस संदर्भ में उनके योगदान को समाज कितना महत्व देता है। स्वतन्त्रता के बाद से चुनाव या विधायक जैसे मंचों से जुड़ी औपचारिक राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत कम रही है। स्वशासन और लोकतंत्र में चुनाव एक मंच भी है और राजनीतिक हिस्सेदारी का एक माध्यम भी है।

लेकिन अनेक अध्ययनों ने इस तथ्य की तरफ इशारा किया है कि चुनाव में महिलाओं की हिस्सेदारी न केवल उम्मीदवार के तौर पर बल्कि मतदाता के रूप में भी बहुत सीमित है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि -

1. महिलायें स्वतन्त्र मतदाता नहीं हैं।

2. उनमें से ज्यादातर निरक्षर हैं।

3. ज्यादातर महिलाओं का निर्णय अपने परिवार के पुरुष सदस्यों, पिता, पति, पुत्र आदि की राय पर निर्भर करता है।

4. महिलाओं में सूचना और राजनीतिक जागरूकता का अभाव होता है।

5. महिलायें राजनीतिक रूप से सचेत नहीं हैं।

6. राजनीतिक पार्टियाँ महिलाओं को पर्याप्त सहयोग एवं भागेदारी के मौके नहीं देती हैं।

देखा गया है कि संविधान के लागू होने के बाद के वर्षों में चुनाव लड़ने, चुनाव प्रचार करने और मतदान करने के लिहाज से चुनाव में महिलाओं की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है परन्तु फिर भी वह संतोष के स्तर से काफी नीचे हैं।

### निष्कर्ष

उपर्युक्त कथन से भारत में महिलाओं की शैक्षिक, रोजगार, स्वास्थ्य एवं राजनीतिक स्थिति का पता चलता है कि भारत में महिलाओं की स्थिति उतनी संतोष जनक नहीं है जितनी पुरुषों की है जबकि महिलाओं का हर क्षेत्र में योगदान बढ़ चढ़कर है। उनके योगदान के बाद भी आखिर क्या वजह है कि महिलाओं की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है।

महिलाओं की स्थिति को सशक्त बनाने के लिए जरूरी है कि महिलाओं के प्रति समाज की जो दृष्टिकोण है उसे बदलने की साथ सरकार महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं बन रही है लेकिन पूरा लाभ महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए जरूरी है कि सरकार के द्वारा बनी योजनाओं को सही तरीके से लागू करने की। सम्भवतः इन प्रयासों से भारत में महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी।

### सन्दर्भ ग्रन्थ

1. शर्मा, ऊषा, (2004), जेंडर मेनस्ट्रीमिंग एण्ड वोमैन्स राइट्स, ऑथोर्स प्रेस, नई दिल्ली।
2. अग्रवाल रश्मि एण्ड बी0बी0एल0एन0 राव (2004), जेंडर इश्यू : ए रोड मैप टू इम्पॉवरमेन्ट, शिप्रा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
3. डिपार्टमेन्ट ऑफ वोमैन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेन्ट, एनुअल रिपोर्ट (2002-03) नई दिल्ली, भारत सरकार।
4. शर्मा सुभाष, (2006), भारतीय महिलाओं की दशा, आधार प्रकाशन, पंचकूला, हरियाणा।
5. प्रो0 सरिता, वरिष्ठ, (2010), महिला सशक्तिकरण, बालाजी आफसेट प्रिंटर्स, नई दिल्ली।
6. सुभाष, सेटिया, (2006), स्त्री अस्मिता के प्रश्न, अजित प्रिंटिंग प्रेस, नई दिल्ली।
7. कुमार, रमेश, (2001), नारीवादी विमर्श, आधार प्रकाशन, पंचकूला, हरियाणा।
8. वृंदा, कारात, (2008), भारतीय नारी : संघर्ष और मुक्ति, ग्रंथ शिल्पी, नई दिल्ली।
9. अरुणा, गोभल, (2009), आर्गनाइजेशन एण्ड स्ट्रक्चर और वोमैन डेवलपमेन्ट एण्ड इम्पॉवरमेन्ट, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स, प्रा0लि0, नई दिल्ली।
10. डॉ0 जोशी, गोपा (2006) भारत में स्त्री असमानता : एक विमर्श, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।